पत्र संख्या– 3/वन भूमि – 62/2008– व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक......... / 08 / 2015

विषय :– मेसर्स सेल, गुआ अयस्क खान, गुआ के दुआरगईबुरू खनन् पट्टा 1443.796 हे0 में से आवेदित 635.986 हे0 वनभूमि के विरूद्व 274.691 हे0 अपयोजन हेतु स्वीकृत खण्डित क्षेत्र के अपयोजन नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वरीय सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8–251 / 1986– FC (PT) दिनांक 22.08.2014 द्वारा विषयक परियोजना में दी गई स्टेज– II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तो का आपके पत्रांक 969 दिनांक 31.03.2015 एवं पत्रांक 1921 दिनांक 05.06.2015 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1196 दिनांक 18.12.2014 एवं ज्ञापांक 718 दिनांक 24.07.2015 द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में सन्निहित अधिसूचित वनभूमि पर कार्यानुमति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रयोक्ता अभिकरण को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–599 / 2014– FC दिनांक 01.04.2015 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 3(iv) के आलोक में निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण लीज क्षेत्र का NPV जमा करना आवश्यक होगा।

कृपया सरकार के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 3 / वन भूमि – 62 / 2008– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि– वरीय सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली– 110003. / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची, बंगला नं0 A-2 श्यामली कॉलोनी, राँची– 834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के उप सचिव

Vijay /vanvumi/ 164

ज्ञापांक– 3 / वन भूमि – 62 / 2008– वo पo, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर / वन संरक्षक, जमशेदपुर प्रादेशिक अंचल, चाईबासा / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा / कनीय प्रबंधक (सम्पर्क) आo एमo डीo स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिo, इस्पात भवन, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हo / –

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 3 / वन भूमि – 62 / 2008– 4443 वo पo, राँची दिनांक– 14.08.2015

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट "forest.jharkhand.gov.in" पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8/15

सरकार के उप सचिव

Vijay /vanvumi) 165